2006 : CGHC : 5855

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सं. 4003/2003

याचिकाकर्ता	:	श्रीमती कविता तिवारी, पति श्री वाई. सी. तिवारी, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी-जूना, बिलासपुर, लाल बहादुर शास्त्री म्यूनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, शनिचरी, बिलासपुर (छग) में उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में कार्यरत।
		विरुद्ध
उत्तरवादीगण	:	1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, नगरीय विकास और प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छग) 2. नगर निगम, बिलासपुर, द्वारा-आयुक्त, नगर निगम भवन, नेहरू चौक, बिलासपुर (छग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका

1. याचिकाकर्ता का विवरण:

उपर्युक्त वाद शीर्षक में यथाउल्लिखित अनुसार

2006 : CGHC : 5855

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 4003/2003

याचिकाकर्ता : विजय सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री।

याचिकाकर्ता के लिए श्री मनिन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री बी. डी. गुरु, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1 के लिए श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 2 के लिए श्री ए. एस. कछवाहा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(29 मार्च, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किए जाने की तिथि से व्याख्याता के पद का वेतनमान अनुदत्त किये जाने के लिए परमादेश/कोई अन्य रिट जारी की जाने की ईप्सा की गई है। यह भी प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को दिए गए वेतन और व्याख्याता के पद के वेतन के अंतर का भुगतान भी याचिकाकर्ता को ब्याज के साथ किया जाए।

2. संक्षेप में प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि शुरू में याचिकाकर्ता को उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में आदेश दिनांक 9.2.1983 के अनुसार, उसे उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर स्थायी किया गया था।

3. याचिकाकर्ता को अन्य लोगों के साथ आदेश दिनांक 16.7.1997(अनुलग्नक पी/2) द्वारा 1640–60–2600–75–2900 रुपये के वेतनमान पर व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने पदोन्नत होने के बाद, लालबहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलासपुर में व्याख्याता के पद का कार्यभार ग्रहण किया था। तथापि, याचिकाकर्ता को केवल उच्च श्रेणी के शिक्षक का वेतन दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. नगर निगम, बिलासपुर के आयुक्त ने इस आशय का एक आदेश पारित किया कि जुलाई महीने में पदोन्नत किए गए अधिकारियों को शासन द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति मिलने तक पुराने पद का वेतन मिलेगा। आदेश में आगे कहा गया था कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति की स्वीकृति पर पदोन्नत पद के वेतन की बकाया राशि प्राप्त होगी। तदनुसार याचिकाकर्ता को व्याख्याता के वेतनमान से वंचित कर दिया गया, जो उसे व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के समय से दिनांक 16.7.1997 से संदत्त किया जाना चाहिए था।

5. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 198/2003 दायर किया। इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.8.2003 के द्वारा उत्तरवादी–सक्षम प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि तक दो महीने की अवधि के भीतर व्याख्याता का वेतनमान अनुदत्त करने के लिए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार और विनिश्चय करे। उत्तरवादी संख्या 2 ने अभ्यावेदन पर विचार किया और आदेश दिनांक 1.11.2003(अनुलग्नक पी/1) द्वारा

याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि याचिकाकर्ता को व्याख्याता के पद का वेतन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पदोन्नति से संबंधित नस्तियों को आयुक्त, बिलासपुर संभाग और कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा मंगा लिया गया था। यह कथन किया गया था कि तत्कालीन जिला प्रशासन द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को "व्याख्याता" के पद का वेतन नहीं दिया जा सकता था।

6. इससे क्षुब्ध होकर, याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है जिसमें उत्तरवादीगण के विरुद्ध यह रिट/निर्देश जारी करने की ईप्सा की गई है कि वे व्याख्याता के पद का वेतनमान प्रदान करें और वेतन के बकाया का भुगतान भी दिनांक 6.7.1997 से किया जाए। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता दिनांक 30 अप्रैल, 2005 को सेवानिवृत्त हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 58 (1) (जिसे इसके बाद 'अधिनियम, 1956' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) में उपबंध है कि नगर निगम को व्याख्याता की नियुक्ति के प्रकरण में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि धारा 58 (1) के परंतुक में उपबंध है कि "किसी ऐसे नगरपालिक पद जिसका कि अधिकतम वेतनमान ऐसा हो, जैसा कि, राज्य सरकार, समय–समय पर लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति मेयर–इन–कौंसिल या आयुक्त में निहित होगी।" इस प्रकार व्याख्याता की नियुक्ति आयुक्त की शक्ति के अंतर्गत आती है। वर्तमान प्रकरण में राज्य ने अपने पत्र दिनांक 26.10.1988 (अनुलग्नक पी/11) द्वारा स्पष्ट रूप से विहित किया है कि अधिनियम, 1956 की धारा

58 (1) के परन्तुक के अंतर्गत नियुक्ति/पदोन्नति के मामले में, जिसमें अधिकतम वेतनमान 1540–2750 रुपये है, समय–समय पर अनुवर्ती वेतन पुनरीक्षणों के साथ, केवल आयुक्त ही नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सक्षम होगा।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि उपर्युक्त कथित विधिक उपबंधों और तर्कों को देखते हुए, नगर निगम आयुक्त राज्य सरकार से कोई अनुमोदन या स्वीकृति लेने के लिए बाध्य नहीं था और याचिकाकर्ता व्याख्याता के पद के पूरे वेतन का हकदार था। यह भी तर्क दिया गया है कि आदेश दिनांक 16.7.1997 के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर पदोन्नति को राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी द्वारा आक्षेप नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राज्य की ओर से प्रस्तुत अंजू आहूजा, विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि उत्तरवादी राज्य ने अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह कथित किया गया है कि –

> "परंतु उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता आदि जैसे पदों में, और जिन पदों पर याचिकाकर्ता कार्यरत है और जिस पद पर वह पदोन्नति चाह रही है, राज्य सरकार से कोई पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और उत्तरवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता को अनुमति दे सकता है।"

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता व्याख्याता के पद के वेतनमान की हकदार थी और उसे इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता था कि नस्तियां आयुक्त, बिलासपुर संभाग या कलेक्टर, बिलासपुर या किसी अन्य अधिकारी के पास लंबित थीं।

10. अधिनियम, 1956 की धारा 58 (1) के अंतर्गत राज्य द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं थी, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया गया है कि किसी ऐसे

पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के प्रकरण में जिसका अधिकतम वेतनमान समय–समय पर अनुवर्ती वेतन पुनरीक्षण के साथ ₹1540–2750 हो, आयुक्त किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पदोन्नति करने में सक्षम होता है।

11. उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए. एस. कछवाहा ने तर्क प्रस्तुत किया है कि यह सत्य है कि याचिकाकर्ता को व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया था और यह विवादित नहीं है, तथापि आयुक्त/उत्तरवादी संख्या 3 इस तथ्य को देखते हुए कि नस्तियां आयुक्त, बिलासपुर संभाग और कलेक्टर, बिलासपुर के पास लंबित थीं, व्याख्याता के पद के वेतन का भुगतान नहीं कर सके। यह आगे तर्क दिया गया है कि आयुक्त/उत्तरवादी संख्या 3 ने यह स्पष्ट कर दिया था कि याचिकाकर्ता व्याख्याता के पदोन्नत पद के वेतन का हकदार होगा, परंतु ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार से कोई विशिष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। आदेश दिनांक 28.8.1997 (अनुलग्नक आर/2–2) में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से अनुमोदन आदेश प्राप्त होने पर वेतन के अंतर संदाय किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों और उत्तरवादीगण द्वारा दायर उत्तरों का अध्ययन करने के बाद, यह निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार 1640–60–2600–75–2900 रुपये के वेतनमान पर व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के बाद भी उच्च श्रेणी के शिक्षक का वेतन मिलता रहा। उत्तरवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को व्याख्याता के पद का वेतन देने से इस आधार पर गलत तरीके से इनकार कर दिया कि व्याख्याता के पद पर पदोन्नति राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित थी। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर नगर निगम,

बिलासपुर के आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.11.2003 (अनुलग्नक पी/1) निराधार था, क्योंकि याचिकाकर्ता की व्याख्याता के पद पर पदोन्नति से संबंधित दस्तावेज का आयुक्त, बिलासपुर संभाग और कलेक्टर, बिलासपुर के कार्यालय में लंबित होना, आयुक्त, नगर निगम को याचिकाकर्ता को व्याख्याता के पद का वेतन संदत्त करने से नहीं रोकता है, क्योंकि उसे दिनांक 16.7.1997 को व्याख्याता के पद पर विधिवत पदोन्नत किया गया था।

13. विधिक उपबंध बहुत ही स्पष्ट है, अधिनियम, 1956 की धारा 58 (1) का परंतुक राज्य सरकार से पूर्व या अन्यथा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विहित नहीं करता है, जिसमें वेतनमान अर्थात 1540–2750 रुपये के अधिकतम वेतन वाले पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के प्रकरण में, जैसा कि आदेश दिनांक 26.10.1988 में स्पष्ट है, जो स्पष्ट रूप से यह उपबंध करता है कि भविष्य में बाद में अनुवर्ती पुनरीक्षित वेतनमान के साथ वेतनमान 1540–2750 रुपये के अधिकतम वेतन वाले पद पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी और आयुक्त अकेले ही उक्त पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सक्षम था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. आदेश दिनांक 13.3.1990 (अनुलग्नक पी/9) के अनुसार यह स्पष्ट है कि पहले व्याख्याता के पद का वेतनमान 1540–40–1620–50–2320–60–2740 रुपये था जिसे बाद में पुनरीक्षित किया गया था, इसीलिए याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश में व्याख्याता के पद का वेतनमान 1640–60–2600–75–2900 रुपये दर्शाया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि अधिनियम 1956 की धारा 58 (1) का परंतुक सहपठित पत्र दिनांक 26.10.1988 के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति आयुक्त, नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में थी और राज्य सरकार से

किसी स्वीकृति/अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। निगम ने पहले कभी भी उच्च श्रेणी शिक्षकों को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत करते हुए राज्य सरकार से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, जैसा कि 13.3.1990 (संलग्नक पी/9) के आदेश से स्पष्ट है।

15. राज्य सरकार ने अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि व्याख्याता के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति/अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

16. उत्तरवादी संख्या 3 को निर्देश दिया गया है कि वह याचिकाकर्ता को दिनांक 16.7.1997 से प्राप्त वेतन और व्याख्याता के वेतन, जो समय-समय पर पुनरीक्षित किया गया है, के बीच के अंतर को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 30 अप्रैल, 2005 तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ संदत्त करे। उपर्युक्त कथित कारणों से, याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाये।

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**